आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

07.7.2023

न्यायालयः– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।

नामांतरण अपील वाद सं0 17/2014–15

उसमान अंसारी वगैरह .... अपीलार्थीगण।

बनाम्

सफुरा बीबी पति क्यूम अंसारी .... प्रत्यर्थी।

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, रमना के द्वारा नामांतरण वाद सं0 54/2011–12 में दिनांक 10.01.2012 ई0 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन पत्र दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। नामांतरण अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। नामांतरण अपील आवेदन पत्र अंगीकृत किया गया एवं संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, रमना से मूल अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, रमना से अभिलेख प्राप्त हुआ है।

उभय के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 अपीलार्थीगण अंचल रमना जिला गढ़वा के अन्तर्गत ग्राम टण्डवा पोस्ट टण्डवा थाना व अंचल रमना जिला गढ़वा के रैयत आलेनवी मियां पिता दसई मियां मरहुम के पोता है। आलेनवी मियॉ का बंशावली निम्न प्रकार है:–

आलेनवी मियां (मृत दिनांक 01.01.2002)

सुभान अंसारी | सरफुदीन अंसारी (मृत दिनांक 09.05.1993) | जैनव बीबी

(सरफुदीन अंसारी के:) सैयद अंसारी | क्यूम अंसारी

विदित हो कि उपरोक्त बंशावली से स्पष्ट है कि आलेनवी मियॉ के दो पुत्र सुभान अंसारी एवं सरफुदीन अंसारी थे तथा जैनव बीबी एक मात्र पुत्री थी। सरफुदीन अंसारी की मृत्यु दिनांक 09.05.1993 ई0 को अपने पिता आलेनवी मियां के जीवन काल में हो गई थी जबकि आलेनवी मियॉ की मृत्यु दिनांक 01.01.2002 ई0 को हुई है। सरफुदीन मियॉ एवं आलेनवी मियॉ के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति उक्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न है सरफुदीन अंसारी के दो पुत्र हुए जिसका नाम क्रमशः सैयद अंसारी एवं क्यूम अंसारी है जो जिवित है।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	02 मुसलिम लॉ के अनुसार सरफुदीन अंसारी की मृत्यु पिता आलेनवी मियाँ के जीवन काल में हो जाने के कारण आलेनवी मियाँ के चल एवं अचल सम्पति में सरफुदीन अंसारी या उनके दोनो पुत्र सैयद अंसारी वो क्यूम अंसारी का मौरूषी हक समाप्त हो गया। आलेनवी के चल एवं अचल सम्पति में सिर्फ आवेदक के पिता सुभान अंसारी एवं फुआ जैनव बीबी का हक रह गया तथा दोनों भाई बहन ही आलेनवी मियाँ के चल एवं अचल सम्पति में अपने हिस्से के अनुसार बांटकर खेती बारी कर सकते है या बिक्री कर सकते है या मनमाफिक उपयोग कर सकते है। सरफुदीन अंसारी के दोनों पुत्र का आलेनवी मियाँ के सम्पति के न तो उत्तराधिकारी हुए और न ही उनके सम्पति को कानूनन बेच सकते है और न ही अपने उपयोग में ला सकते है। 03 आलेनवी अंसारी के मृत्यु दिनांक 01.01.2002 ई0 को हो जाने के बाद आलेनवी मियाँ के कुल सम्पति का बंटवारा सुभान अंसारी एवं जैनव बीबी के बीच हो गया तथा जैनव बीबी अपने हिस्से में प्राप्त भूमि को विक्री पत्र के माध्यम से खुर्शीद अंसारी एवं मुर्तुजा अंसारी वगैरह के साथ विक्री कर दी, जैनव बीबी के विक्री करने के वाद जो जमीन बचा वह आवेदकगण के पिता का बचा जिस पर अपीलार्थीगण शान्तिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है। 04 अपीलार्थीगण जनवरी 2013 में जब अपने जमीन का रसीद कटाने गये तब राजस्व कर्मचारी से जानकारी मिला कि सरफुदीन अंसारी का दोनों बेटा क्रमशः सैयद अंसारी ने दो विक्रय पत्र के माध्यम से अपनी सकीना बीबी के नाम ग्राम टण्डवा अंचल रमना के खाता नं0 191 प्लॉट नं0 188 रकबा 0.82 एकड़ जमीन बेच दिया है जिसका दाखिल खारिज नामांतरण वाद संख्या 99/2012–13 के माध्यम से हो चुका है तथा दूसरा पुत्र क्यूम अंसारी द्वारा अपनी पत्नी सफुरा बीबी के नाम विक्रय पत्र के माध्यम से ग्राम टण्ड़वा के खाता नं0 180, 191 प्लॉट नं0 188, 68 अन्तर्गत 2.50 एकड़ जमीन विक्री कर दिया है जिसका दाखिल खारिज नामांतरण वाद संख्या 54/2011–12 है। के माध्यम से हो चुका है। इसलिए सुभान के जमीन में से रकबा 4.14 एकड़ जमीन बिक्री होने के कारण शेष जमीन का रसीद कटेगा इसके वाद आवेदकगण रसीद नहीं कटाये और सइद अंसारी एवं क्यूम अंसारी द्वारा बेचे गए जमीन से संबंधित कागजात की खोज में जूट गए और कागजात प्राप्त होने के बाद आवेदकगण ने विपक्षियों के नामें अंचल अधिकारी रमना अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी के मिली भगत से गुप–चुक तरीके से किए एक विधि विरूद्ध नामांतरण को रद्द करने हेतु यह अपील दाखिल करते है। 05 नामांतरण वाद संख्या 54/2011–12 में उल्लेखित है लगातार	

Scanned with CamScanner

rgument

-12

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

कि नामांतरण वाद की कार्यवाई राजस्व शिविर में दिनांक 10.01.2012 ई0 को प्रारम्भ हुई एवं उसी दिन उसमें अंतिम आदेश पारित किया गया।

अतः अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुएअंचल अधिकारी रमना के द्वारा नामांतरण वाद सं0 54/2011-12 में पारित आदेश को अपास्त करने एवं अपीलार्थीगण नाम से नामांतरण करने अंचल अधिकारी को आदेश देने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर का प्रत्युत्तर अपीलार्थी की ओर से :-

01 दिनांक 04.02.2015 ई0 को प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल लिखित जवाब के कथन विधि व तथ्य की दृष्टि से दोषपूर्ण है एवं अमान्य करने योग्य है।

02 प्रत्यर्थी के लिखित जवाब के पैरा नं0 1 से 3 के कथन गलत है।

03 प्रत्यर्थी के लिखित जवाब के पैरा नं0 3 का कथन भ्रामक व गलत है क्योंकि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है केवाला निष्पादन के पश्चात् प्रत्यर्थी प्रश्नगत भूमि पर कभी भी दखल कब्जा नहीं है।

04 प्रत्यर्थी के लिखित जवाब के पैरा नं0 4 के तथ्य भ्रामक व असत्य है। प्रत्यर्थी ने अपने जवाब के पैरा नं0 4 में आलेनवी शेख एवं सरफुदीन मियां की मृत्यु की जो तारीख बताई है वह गलत है जबकि अपीलार्थी ने अपने अपील ज्ञापन में आलेनवी शेख एवं सरफुदीन मिया की जो मृत्यु की तारीख बताई है वह सरकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर है जो सही वो सत्य है।

05 प्रत्यर्थी के लिखित जवाब के पैरा नं0 5 व 6 का कथन भी प्रत्यर्थी ने वही तथ्य को दोहराया है जो पूर्व में पैरा नं0 4 में उल्लेखित है इस वाद से संबंधित भूमि पर अपीलार्थी का शान्तिपूर्ण ढंग से जोत-कोड़ व दखल कब्जा है। आलेनवी शेख वो सरफुदीन मियॉं की मृत्यु प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है जिसकी चुनौती प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय में करना गलत है।

06 प्रत्यर्थी के पैरा नं0 7 का कथन गलत है क्योंकि अपीलार्थी ने अपने अपील ज्ञापन में जो तथ्य प्रस्तुत किया है वह प्रमाणित है।

07 प्रत्यर्थी के जवाब का पैरा नं0 8 एवं 9 का कथन भी गलत है क्योंकि यह वाद जमाबंदी को रद्द करने का नहीं है बरन अपील का है एवं अपील के माध्यम से निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को समाप्त (Seteside) किया जाता है। अतः प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के जिस न्याय निर्देश की बात कही है वह इस वाद पर लागु नहीं होता है।

08 प्रत्यर्थी के जवाब के पैरा नं0 10 का कथन भी गलत तथ्यों पर आधारित है क्योंकि अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में विलम्ब को माफ करने हेतु सही तथ्य प्रस्तुत किया है।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अतः अपीलार्थी की ओर से दायर प्रत्युत्तर स्वीकार कर प्रत्यर्थी के द्वारा दिनांक 04.02.2015 ई0 को दाखिल जवाब के तथ्यों को अमान्य करते हुए अपील वाद को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि :- 01 अपीलार्थीगण द्वारा दायर नामांतरण अपील बेबुनियाद एवं मनगढ़न्त है।

02 विद्वान अंचल अधिकारी रमना द्वारा नामांतरण वाद सं0 54/2011-12 दिनांक 10.01.2012 ई0 का पारित आदेश बिलकुल ही सही एवं विधि के अनुकूल है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का अपील आवेदन खारीज योग्य है।

03 प्रत्यर्थी ने अंचल रमना जिला गढ़वा ग्राम टण्डवा थाना रमना खाता नं0 180 प्लॉट नं0 188 रकबा 0.85 एकड़ खाता नं0 191 प्लॉट नं0 68 रकबा 1.64 एकड़ भूमि बिक्रेता क्यूम अंसारी पिता सरफुदीन अंसारी से ग्राम व पोस्ट टण्डवा थाना रमना जिला गढ़वा में वजरिय केवाला द्वारा भूमि प्राप्त है जो विक्री के दिन से ही विक्रेता ने क्रेता के हाथों दखल कब्जा सौंप दिए तथा क्रेता द्वारा खरीदगी केवाला एवं दखल कब्जा के आधार पर केवाला का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय में दिए। जिस पर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉचोंपरान्त विद्वान अंचलाधिकारी रमना द्वारा नामांतरण वाद सं0 54/2011-12 के द्वारा नामांतरण की स्वीकृति मिली तथा सरकारी मालगुजारी रसीद साल व साल कटती चली आ रही है।

04 अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन के कंडिका 1 में रैयत आलेनवी मियां पिता दसई मियां का वंशवृक्ष जो श्री मान् के समक्ष दर्शायी गई है। जो वंशवृक्ष के अनुसार आलेनवी मियां की मृत्यु तिथि 01.01.2002 तथा सरफुदीन अंसारी की मृत्यु तिथि 09.05.1993 ई0 दी गई है। जो बिलकुल ही मिथ्या एवं मनगढ़न्त है। तथा सच्चाई से परे है। क्योंकि अपीलार्थीगण की नियत ठीक नहीं है। जिस कारण प्रत्यर्थी की भूमि को हड़पने की नियत से झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर ग्राम सेवक को मेल में लाकर बनवाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र है जिसमें अपीलार्थीगण ने छायाप्रति दाखिल करने की बात कही है जो सच्चाई को छिपाकर बनवाया गया जाली मृत्यु प्रमाण पत्र है। जबकि सच्चाई है कि सरफुदीन मियां की मृत्यु 07.01.2002 ई0 (सात जनवरी दो हजार दो) को हुई है। जिसमें आलेनवी मियां की मृत्यु पहले हुई है एवं सरफुदीन मियां की मृत्यु बाद में हुई है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का कथन एवं प्रत्यर्थी के कथन में काफी विरोधाभाष है तथा मुस्लिम विधि के अनुसार प्रत्यर्थी के केवाला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

05 यह सच्चाई है कि आलेनवी मियां के दो पुत्र क्रमशः सुभान अंसारी वो सरफुदीन अंसारी थे एवं एक पुत्री जैनव बीबी है

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

जो सच्चाई है कि आलेनबी मियां के मृत्यु के पश्चात सुभान अंसारी वो सरफुदीन अंसारी सभी चल वो अचल सम्पति के दखल कब्जे में आए जिसमें जैनब बीबी ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि रहमतुल्ला मियां वो मुर्तुजा अंसारी को बिक्री कर दिए। फिर भी अपीलार्थीगण यह जानते हुए कि प्रत्यर्थी को केवाला द्वारा भूमि क्रय की है एवं विधिवत जाँचोपरान्त नामांतरण का आदेश पारित है। फिर भी अपीलार्थीगण उक्त भूमि को हड़पने का षंडयंत्र रच कर जाली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर प्रत्यर्थी के भूमि को हड़पने के उदेश्य से गलत मंशा से अपील दायर की है जो उक्त अपील वाद अविलम्ब खारीज योग्य है।

06 अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन के कंडिका 2 में कहते है कि आलेनबी अंसारी के चल वो अचल सम्पति में सिर्फ सूभान अंसारी वो जैनब बीबी का हिस्सा रह गया एवं सरफुदीन अंसारी की सम्पति मुस्लिम लॉ के मुताविक समाप्त हो गई परन्तु अपीलार्थी का यह कहना सरासर बेईमानी के सीवा कुछ नही है। जो अपीलार्थी ने आलेनबी मियां की मृत्यु तिथि 01.01.2002 बतलाया है जबकि सरफुदीन मियां की मृत्यु 07.01.2002 ई0 को हुई है ऐसी स्थिति में भी आलेनबी मियां सरफुदीन मियां से पहले हुई है। परन्तु अपीलार्थी का यह कहना की सरफुदीन मियां की मृत्यु 09.05.1993 ई0 में हुई है जो भूमि हड़पने की नियत से मनगढ़न्त मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर न्यायालय के समक्ष झूठा अपील वाद दायर किया गया है जो उक्त अपील वाद इस आधार पर भी खारिज योग्य है। जो अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी उपर में सगे चाचा एव भतीजी है।

07 अपीलार्थी ने नामांतरण वाद सं0 54/2011–12 दिनांक 10.01.2012 ई0 तथा कही पर नामांतरण वाद सं0 54/2011–12 दिनांक 10.11.2012 का उल्लेख किया गया है जो अपील वाद में ही विरोधाभाष है तथा अपील आवेदन खारिज योग्य है।

08 अपीलार्थी ने अपने सभी आधार में जो तथ्य अपील वाद में उठाया गया है जो स्वीकार योग्य नही है तथा अपीलार्थी का अपील आधारहीन है। इस आधार पर भी अपील वाद खारिज योग्य है।

09 विधि में अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कई ऐसे आदेश पारित हो चुके है। जिसमें पूर्व से चल रहे डिमाण्ड को रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

10 अपीलार्थी द्वारा जिस आधार के अनुसार अपील दायर की गई है। जिसमें काफी बिलम्ब हुआ है। क्योकि वर्ष 2011–12 में नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करने के बाद विद्वान अंचल अधिकारी रमना के आदेश को अपील दायर करने में काफी बिलम्ब हुआ है एवं

लगातार ....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अपीलार्थी द्वारा जो बिलम्ब का कारण दर्शाया गया है वह क्षमा योग्य नहीं है यदि बिलम्ब को दूर किया भी गया तो अपील वाद में अपील दायर करने का ठोस मुदा अपीलार्थी के पास नहीं है ऐसी स्थिति में भी उक्त अपील वाद खारिज योग्य है। अतः प्रत्यर्थी की ओर से लिखित जवाब स्वीकार कर अंचलाधिकारी रमना द्वारा नामांतरण वाद सं0 54/2011-12 दिनांक 10.11.2012 के आदेश को बहाल रखते हुए अपीलार्थीगण द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को खारीज करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है। 01 मृत्यु प्रमाण पत्र सं0 110212 का छायाप्रति .... 01 फर्द 02 आलेनवी के नाम से खतियान का छायाप्रति .... 01 फर्द उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल लिखित अपील आवेदन पत्र, अपील आवेदन पत्र का प्रत्युत्तर वो अभिलेख में संलग्न राजस्व कागजात का गहन परिशीलन किया तथा पाया कि प्रश्नगत भूमि आलेनवी मियां पिता दसई मियां के नाम से है जिनके दो पुत्र क्रमशः सुभान अंसारी, सरफुदीन अंसारी एवं एक पुत्री जैनव बीबी है। अपीलार्थी के कथनानुसार सरफुदीन अंसारी का मृत्यु दिनांक 09.05.1993 को ही हो चुका था। तत्पश्चात् दिनांक 01.01.2002 को आलेनवी मियां का मृत्यु हुआ है। अपीलार्थी के अनुसार मुस्लिम लॉ के अनुसार सरफुदीन के मृत्यु उनके पिता आलेनवी अंसारी के मृत्यु से पूर्व होने के कारण आलेनवी अंसारी के चल एवं अचल सम्पति में सरफुदीन अंसारी के वारिसान का हक एवं हिस्सा नहीं होगा। परन्तु अपीलार्थी के द्वारा अन्तर्विष्ट सम्पूर्ण प्रावधानों का सम्यक विधि सम्मत अनुपालन करने में असफल रहें। सरफुदीन अंसारी के मृत्यु की तिथि से संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमना से पत्राचार किया गया। जिससे एक ही व्यक्ति के नाम से दो अलग-अलग तिथि को निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन विरोधाभाष दिया गया, प्रतिवेदन अस्पष्ट है। उभय पक्ष के द्वारा सरफुदीन अंसारी के मृत्यु की तिथि को लेकर अलग-अलग साक्षियों का साक्ष्य शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिसका संबंधित अधिवक्ता के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया। परन्तु साक्षियों के द्वारा दी गई ब्यान से स्पष्ट प्रमाणित नहीं हो सका कि सरफुदीन अंसारी का मृत्यु किस तिथि एवं वर्ष को हुआ था। उभय पक्ष द्वारा सरफुदीन अंसारी की मृत्यु की तिथि विरोधाभाष है तथा आलेनवी की मृत्यु तिथि 01.01.2002 अंकित है। निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख वाद संख्या 54/2011-12 का भी अवलोकन किया एवं पाया कि प्रश्नगत भूमि पर क्रेता यानी प्रत्यर्थी का दखल कब्जा है। प्रश्नगत भूमि का बंटवारा हक एवं हिस्से/स्वामित्व से संबंधित मामला है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। लगातार	

Scanned with CamScanner

Jugment

2 आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, रमना के द्वारा नामांतरण वाद सं0 54/2011–12 में दिनांक 10.01.2012 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। ह0/- 07/VII/23 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर। ह0/- 07/VII/23 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।	

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.08.07 13:14:39 +05:30
Location: 192.168.69.87

Scanned with CamScanner